



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1948 (श10)

(सं० पटना 1165) पटना मंगलवार 29 सितम्बर 2026

सं० 08/विविध-13(निगम)-03/2026-5605

जल संसाधन विभाग

संकल्प

24 सितम्बर 2026

विषय:- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कंपनी एक्ट-2013 (Companies Act-2013) के तहत मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सहित "बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड (Bihar Jal Sansadhan Vikas Nigam Limited)" के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में अनियमित वर्षा तथा औसत वर्षापात में कमी परिलक्षित हो रही है। साथ ही नदियों, बराजों, जलाशयों इत्यादि जलस्रोतों की जल वहन क्षमता एवं जल-धारण क्षमता में क्रमिक ह्रास हो रहा है। दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या, कृषि पर दबाव, नगरीकरण, औद्योगीकरण, इत्यादि कारणों से जल की मांग निरंतर बढ़ रही है। परिणामस्वरूप भू-जल के साथ-साथ सतही जल पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में जीवन एवं विकास की निरंतरता बनाये रखने के लिये जल-प्रबंधन और जल-सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस दृष्टिकोण से जल संसाधन विभाग के सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन तथा जल निकासी जैसे परंपरागत कार्यों में बहु-आयामी विस्तार हो रहा है।

2. गैर-परंपरागत कार्यों यथा सतही जल का पेयजल के रूप में उपयोग हेतु स्रोत एवं संरचना का विकास, जलस्रोतों का पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन, रिवर इंटरलिंगिंग, रिवर फ्रंट विकास तथा विभागीय भूमि, भवन एवं अन्य परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन इत्यादि परियोजनाओं का सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव एवं तकनीकी परामर्श सेवाएँ प्रदान करना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग तथा लोक-निजी भागीदारी के माध्यम से विशेषज्ञता, नवाचार एवं निवेश संवर्धन, आकस्मिक परिस्थिति में जनाकांक्षा के अनुरूप त्वरित प्रतिक्रिया और कार्यों का त्वरित निष्पादन तथा आधुनिक जल-प्रबंधन एवं दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संसाधन विभागान्तर्गत एक स्वायत्त, पेशेवर एवं परिणामोन्मुखी (Result Oriented) संस्थागत तंत्र के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत "बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड (Bihar Jal Sansadhan Vikas Nigam Limited)" का गठन संकल्पित है।

3. निगम की स्थापना व्यय-केन्द्रित (Cost Centred) व्यवस्था से मूल्य सृजन एवं आय-आधारित संस्थागत मॉडल की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यावसायिक दक्षता, स्वायत्तता एवं आधुनिक परियोजना प्रबंधन को संस्थागत रूप प्रदान करते हुए उक्त निगम न केवल जल संसाधन परियोजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन

को सुनिश्चित करेगा, बल्कि सौर ऊर्जा, जल विद्युत परियोजना इत्यादि संबंधी कार्य, परामर्श, परियोजना प्रबंधन, अभियांत्रिकी सेवाओं तथा परिसंपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग के माध्यम से चरणबद्ध रूप से वित्तीय आत्मनिर्भरता एवं आय सृजन भी सुनिश्चित करेगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गठित उक्त निगम का कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य एवं आवश्यकतानुसार राज्य एवं राष्ट्र के बाहर तक विस्तारित होगा। प्रस्तावित निगम द्वारा अन्य विभागों तथा बाह्य संस्थाओं को निर्माण एवं परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराकर भी आय अर्जित किया जा सकेगा।

4. निगम में सृजित किए जाने वाले विभिन्न पदों (तकनीकी/गैर-तकनीकी) पर विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन की जाएगी, जिससे प्रारंभिक चरण में निगम पर सीमित वित्तीय भार पड़ेगा, जो दीर्घकाल में बेहतर परियोजना प्रबंधन, लागत नियंत्रण एवं आय अर्जन के माध्यम से संतुलित हो सकेगा। आवश्यकतानुसार निगम द्वारा कार्यों के निष्पादनार्थ नियुक्तियाँ विहित प्रावधान के तहत पूर्णकालिक/संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा सकेगी।

5. निगम की अधिकृत पूंजी ₹50 करोड़ (रुपये पचास करोड़ मात्र) होगी, जिसे ₹10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के शेयरों में विभाजित किया जा सकेगा। प्रारंभिक चरण में निगम को सक्षम रूप से कार्यशील बनाने यथा निगम की स्थापना, प्रारंभिक संचालन तथा इससे संबंधित अन्य आकस्मिक एवं प्रशासनिक व्ययों का वहन राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ₹6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) की प्रारंभिक सदस्यता पूंजी (₹10/- अंकित मूल्य के शेयरों में विभाजित) से किया जाएगा। निगम का पंजीकृत कार्यालय (मुख्यालय) पटना, बिहार में अवस्थित होगा। निगम के शेयर मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निहित पदों पर पदस्थापित सदस्यगण द्वारा अपने-अपने नाम से, राज्यपाल, बिहार की ओर से धारित किये जाएंगे।

6. बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड का संचालन निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा किया जायेगा। निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या कम से कम तीन होगी एवं नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित में से आवश्यकतानुसार की जाएगी:-

- I. अध्यक्ष: - अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार
- II. निदेशक:- अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन, विभाग, बिहार
- III. निदेशक:- अभियंता प्रमुख, सिचाई सृजन, जल संसाधन, विभाग, बिहार
- IV. निदेशक:- अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन, विभाग, बिहार
- V. निदेशक:- प्रबंध निदेशक, बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड
- VI. निदेशक:- विशेष/अपर सचिव, जल संसाधन, विभाग, बिहार
- VII. निदेशक:- निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना

7. उक्त उद्देश्य से कंपनी एक्ट-2013 के प्रावधानों के अंतर्गत मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सहित "बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड (Bihar Jal Sansadhan Vikas Nigam Limited)" के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक 23.09.2026 को संपन्न बैठक में मद सं0 06 के रूप में प्रदान की गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रशेखर सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1165-571+500-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>